राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

(वित्त–भविष्य निधि अनुभाग)

क्रमांकः– मुख्या / वित्त / भ.नि. / 2016 / 3746 दिनांक 03-11-2016

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मु0 / वित्त / पेंशन / 2016 / 3401 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या–33 / 2016 दिनांक 06.09.2016 की पालना में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दिनांक 01.01.2012 एंव इसके पश्चात सीधी भर्ती में नवनियुक्त होने वाले अधिकारियों एंव कर्मचारियों पर नवीन पेंशन योजना, 2004 (N.P.S 2004) के स्थान पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (CPF) विनियम, 1964 तथा संशोधित विनियम 2008 प्रभावी किया गया है, के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

(1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 की धारा 26 में यह प्रावधान है कि संस्थान में सेवा प्राप्त करते ही निधि का हकदार होगा एंव CPF भविष्य निधि का सदस्य बनेगा, इसलिए निगम में प्रथम कार्यग्रहण दिनांक से ही संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सी.पी.एफ (CPF) का सदस्य माना जावेगा।

(2) वित्तीय सलाहकार के आदेश संख्या– F14 / H.O / Acct / CPF(14) 97 / 8524 दिनांक 30.12.1997 के तहत CPF के सदस्यों की 12% कटौती का प्रावधान किया हुआ है। CPF के सदस्य के अंशदान के बराबर ही निगम का अंशदान होगा और निगम के अंशदान में से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन अंशदान (E.P.S.) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत E.C.R चालान के माध्यम से प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य है। नियमानुसार पेंशन अंशदान भिजवाये जाने की दरें वर्ष 2000 से दिनांक 31.08.2014 तक 6500 रू. मासिक वेतन पर, 8.33% अर्थात 541 रू. अधिकतम तथा दिनांक 01.09.2014 से 15000 रू. मासिक वेतन पर 8.33% अर्थात 1250 रू. अधिकतम जमा योग्य राशि है।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय नई दिल्ली, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भविष्य निधि सदस्यों को वित्त वर्ष 2011–2012 से 2015–2016 तक दी जाने वाली ब्याज दरें निम्नानुसार हैः–

क.सं.	वित्तीय वर्ष	वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में)
1.	2011–12	8.25
2.	2012–13	8.50
3.	2013–14	8.75
4.	2014–15	8.75
5.	2015–16	8.80

(4) दिनांक 01.01.2012 एंव इसके पश्चात सीधी भर्ती में नवनियुक्त होने वाले अधिकारियों एंव कर्मचारियों का दो वर्ष तक परीविक्षाकाल में फिक्स वेतन दिया गया है फिक्स वेतन पर NPS की कटौती नही की गयी है। उक्त अवधि का संबंधित अधिकारियों एंव कर्मचारियों से 12% CPF का अंशदान प्रथम कार्यग्रहण दिनांक से वसूल किया जावे। इसी प्रकार निगम की और से 12% CPF का अंशदान ब्याज सहित दिया जावे।

(5) दिनांक 01.01.2012 एंव इसके पश्चात सीधी भर्ती में नवनियुक्त होने वाले अधिकारियों एंव कर्मचारियों का परीविक्षाकाल पूर्ण होने पर नियमित होने की दिनांक से 10% की दर से NPS की राशि की कटौती उनके वेतन से की गयी है। CPF योजना लागू होने की वजह से 12–10= 2% शेष राशि CPF का अंशदान संबंधित अधिकारियों एंव कर्मचारियों से नियमित होने की दिनांक से वसूल किया जावे। तथा उक्त अवधि का निगम की और से 12% CPF का अंशदान ब्याज सहित दिया जावे।

Scanned by CamScanner

(6) नवीन पेंशन योजना, 2004 (N.P.S 2004) के स्थान पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (CPF) विनियम, 1964 के सदस्य बनने वाले समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की ई.पी.एफ.(EPF) की राशि पर वित्त वर्ष 2011–12 ब्याज दर 8.25%, 2012–13 ब्याज दर 8.50%, 2013–14 ब्याज दर 8.75%, 2014–15 ब्याज दर 8.75%, 2015–16 ब्याज दर 8.80% नियमानुसार देय ब्याज राशि की गणना कर तथा उसकी पूर्ण जांच कर भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय में जमा कराने के क्रम में आवश्यक आदेश जारी कर आदेशों की एक प्रति मय गणना एवं मांग प्रपत्र के तुरन्त ही सी.पी. एफ(CPF)शाखा मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित करावें ताकि देय राशि जमा कराने के लिए आपको प्रेषित कराई जा सके।

(7) ई.पी.एफ (EPF) की जमा कराने वाली राशि की मांग उप महा प्रबंधक (बजट) मुख्यालय जयपुर से की जावे।

(8) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में दिनांक 01.01.2012 एंव इसके पश्चात सीधी भर्ती में नवनियुक्त होने वाले अधिकारियों एंव कर्मचारियों को (CPF) भविष्य निधि खाता आंवटन कराने के लिए उनका प्रथम नियुक्ति आदेश एंव प्रथम ज्वाईनिंग रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भेजे तथा प्रथम भविष्य निधि कटौती माह अक्टूबर 2016 (पेड इन नवम्बर 2016) के वेतन से नियमानुसार सीपीएफ (CPF) की काटी गई राशि मय बिल नम्बर व दिनांक आदि शीघ्र भविष्य निधि शाखा मुख्यालय जयपुर में भिजवायें।

(9) कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करें।

अतः उपरोक्त समस्त कार्यवाही इस आदेश की प्राप्ति के एक माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करावें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब किये जाने से सेवानिवृत कर्मचारियों के प्रकरण निस्तारण में विलम्ब होने तथा भविष्य निधि विभाग द्वारा किसी प्रकार की शास्ति लगाने पर संबंधित दोषी इकाई प्रभारी/मुख्य प्रबन्धक,अधिकारी–कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(राजेश यादव)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः– मुख्या/वित्त/भ.नि/2016/3746 दिनांक 03-11-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
03. निजी सचिव, माननीय वित्तीय सलाहकार राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
04. कार्यकारी निदेशक (   ) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
05. महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
06. उप महा प्रबन्धक (I T) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर। (13)
07. निगम सचिव, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर।
08. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, केन्द्रीय कार्यशाला, रा रा प प नि...............।
09. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रा रा प प नि .... ।
10. सहायक लेखाधिकारी (   ) राजस्थान परिवहन निगम जयपुर।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(परमेश्वरी चौधरी)
वित्तीय सलाहकार

Mr Vnan
9/11/16

Scanned by CamScanner